# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 195 / 04 / 2015 / चयन इन्दौर दिनांक 02/05/2017

## //विज्ञप्ति//

### विशेषज्ञ आयुर्वेद के पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधी आवश्यक सूचना

**01.** आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02 / चयन / 2015 / दिनांक 31.03.2015 के अन्तर्गत विशेषज्ञ आयुर्वेद के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया हैं । विशेषज्ञ आयुर्वेद की ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 19.02.2017 को आयोजित की जाकर परीक्षा का परिणाम दिनांक 24.03.2017 को जारी किया गया था । ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम में समस्त अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि आयोग की बेबसाइट से व्यक्तिगत विवरण पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म की 01 प्रति प्राप्त की जाकर उसकी आवश्यक पूर्ति कर शैक्षणिक अर्हताओं के अभिलेख सहित आवेदन आयोग कार्यालय में दिनांक 26.04.2017 सायं 5.30 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिन आवेदकों के अभिलेख प्रपत्रों सहित आयोग को प्राप्त नहीं होगें उन आवेदकों के संबंध में यह माना जावेगा कि वे साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जावेगी ।

**02.** निम्नलिखित आवेदकों को विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता नहीं होने के कारण संवीक्षा उपरांत अनर्ह किया गया है एवं निर्देशानुसार साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जाती हैं :–

| सरल क्रमांक | रोल नंबर | लिखित परीक्षा के रोल नंबर | आवेदक का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 10 | AY100073 | राम रक्षा शुक्ल | अनारक्षित |
| 02. | 44 | AY100020 | पंकज मासोदकर | अनुसूचित जाति |
| 03. | 101 | AY100065 | गौतम नागराज | अनुसूचित जाति |

**03.** विशेषज्ञ आयुर्वेद पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाकर आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रस्तुत वर्तमान पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निरस्ती पत्र दिनांक 02.05.2017 को प्रेषित किये गये हैं । उपरोक्त पद की उम्मीद्वारी निरस्त किए जाने के संबंध में आवेदकों को अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाना है तो निरस्ती पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती हैं । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति बिना विचार किए नस्तीबद्ध की जावेगी।

उप परीक्षा नियंत्रक (चयन)